

प्रेषक,

श्री अशोक गांगुली,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

शेवा में,

सचिव
केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद,
शिक्षा केन्द्र 2 तयदाय केन्द्र,
प्रो.सि. बिहार, नई दिल्ली ।

तख्तक: दिनांक: 20 फरवरी, 1996.

शिक्षा 171 अनुमान

विषय:- महरिषि विद्या मंदिर बरेली को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु
अनापत्ति प्रमाण पत्र दिये जाने के सम्बन्ध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे बह कहने का निदेश हुआ है कि महरिषि विद्या मंदिर
बरेली को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता प्रदान किये जाने में इस राज्य सरकार
को निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन आपत्ति नहीं है ।

- 111- विद्यालय की पंजीकृत सोलाइटी का तमम तमम पर नवीनीकरण कराया जायेगा ।
- 121- विद्यालय की प्रबन्ध समिति में शिक्षा विभाग द्वारा भाषित शक सदस्य होगा ।
- 131- विद्यालय में कम से कम दस प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओं के लिए नियमित कुल से अधिक शुल्क नहीं लिया जायेगा ।
- 141- संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से/केन्द्रीय शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की सम्बद्धता केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद/कोसिल बिहार दि. इंडिपेण्डेन्स स्कूल सर्टीफिकेट इन्वैस्टिगेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उस परीक्षा परिषदों से सम्बद्धता प्राप्त होने के विधि से परिषद से मान्यता तथा राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगी ।

—2/-

[Signature]

Principal
Mharishi Vidya Mandir
Bareilly
C.B.S.E.
2130

- 151- संस्था के शिक्षक एवं शिक्षितार कर्मचारियों को राजकीय तहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुमन्त्र वेतनमानों तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे ।
- 161- कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें तहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्त्र सेवा नियुक्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे ।
- 171- राज्य सरकार द्वारा समस्त समस्त पर जो भी आदेश निर्गत किये जायेंगे, संस्था उनका पालन करेगी ।
- 181- विद्यालय का रिकार्ड नियंत्रित पुस्तक/पंजीकाओं में रखा जायेगा ।
- 191- उक्त शर्तों में राज्य सरकार के प्राविमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन या परिष्कार नहीं किया जायेगा ।
- 2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि संस्था द्वारा यह तनिश्चित किया जाय कि दिनांक 15-11-95 के सम्बन्धानुसार विद्यालय द्वारा निजी भवन हेतु कुछ की गई भूमि पर मानकानुस्य विद्यालय भवन पांच वर्ष के अन्दर पूर्णता निर्मित करवा लिया जायेगा और इसकी सूचना शालन को दी जायेगी ।
- 3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना संस्था के लिए अनिवार्य होगा और यदि किसी तस्य यह पाया जाता है कि संस्था द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का पालन नहीं किया जा रहा है अपना पालन करने में किसी प्रकार की चूक या शिथिलता बरती जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस ले लिया जायेगा ।

भवदीय,

अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव ।

पूठ संख्या- 610111/15-8-161281/95, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उ०प्र०, सखनऊ
- 2- मुख्यीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, बोली ।
- 3- जिला विद्यालय निरीक्षक, बरेली ।
- 4- निरीक्षक, अंगन भारतीय विद्यालय, उ०प्र०, सखनऊ ।
- 5- प्रधानक, महर्षि विद्या मंदिर, बरेली ।

आज्ञा से,

(Signature)

अशोक गांगुली
संयुक्त सचिव !

(Signature)
Principal
Maharshi Vidya Mandir
affiliated to C.B.S.E.K
2130